भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 442 का उत्तर

यात्रियों की सुरक्षा

***442. श्रीमती पूनमबेन माडम:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की यात्री सुरक्षा को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए कोई दीर्घकालिक कार्यनीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर मौजूद असुरक्षित बच्चों और अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात कार्मिकों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामले देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 02.04.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 442 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में काफी गिरावट आई है। परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं वर्ष 2014-15 में 135 से घटकर वर्ष 2024-25 में 31 रह गई हैं, जिन्हें नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है।

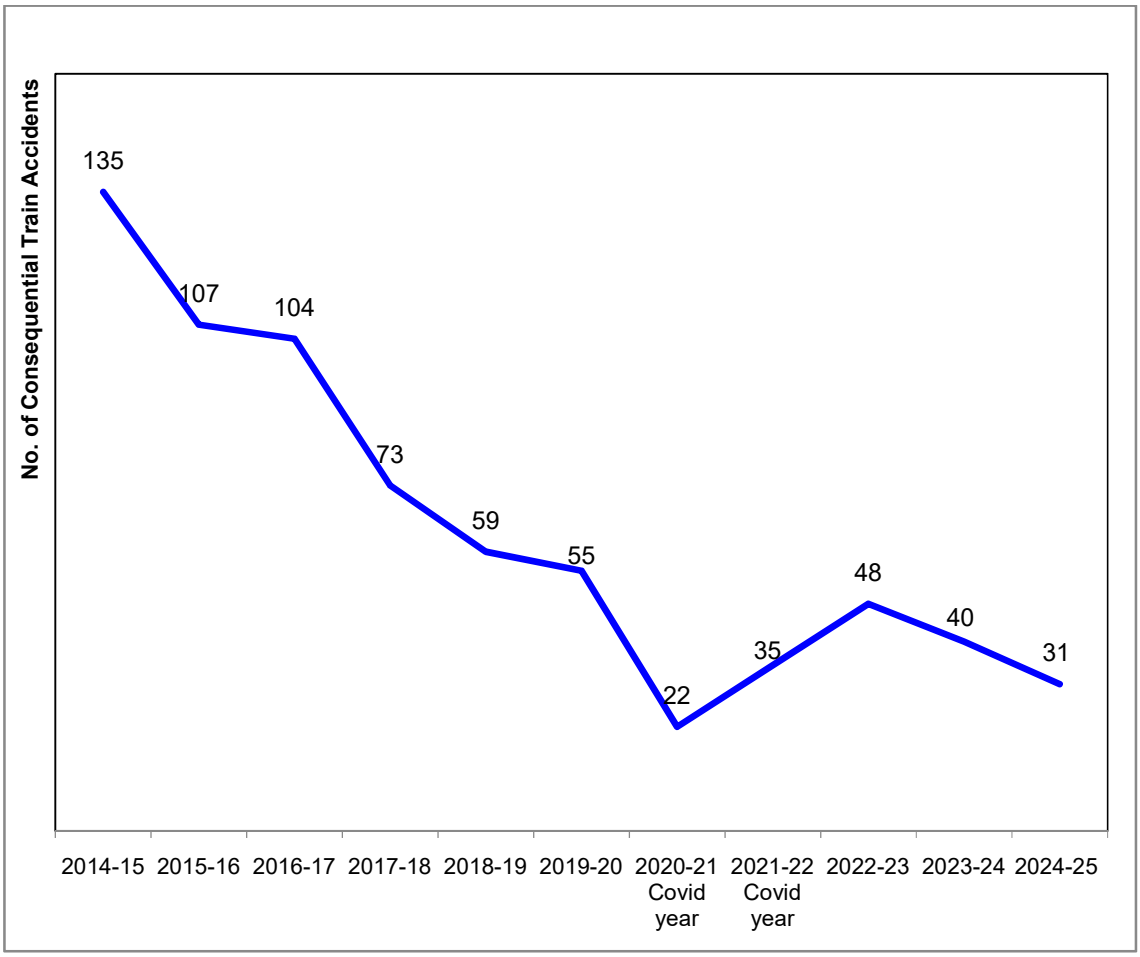

यह नोट किया जाए कि वर्ष 2004-14 की अवधि के दौरान, परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 1711 (औसतन 171 प्रतिवर्ष) थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 31 रह गई हैं।

रेलगाड़ी परिचालन में बेहतर संरक्षा दर्शाने वाला अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक दुर्घटनाएं प्रति मिलियन रेलगाड़ी किलोमीटर (एपीएमटीकेएम) है, जो वर्ष 2014-15 में 0.11 से घटकर 2024-25 में 0.03 रह गया है, जो उक्त अवधि के दौरान लगभग 73% का सुधार दर्शाता है।

रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. भारतीय रेल पर संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय पिछले कुछ वर्षों में निम्नानुसार बढ़ा है:

संरक्षा संबंधी कार्यकलापों पर व्यय (करोड़ रु. में)					
	2013-14 (वास्तविक)	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (वास्तविक)	संशोधित अनुमान 2024-25	बजट अनुमान 2025-26
रेलपथ का अनुरक्षण और निर्माण कार्य	9172	18,115	20,322	21,800	23,316
रेल इंजनों और चल स्टॉक का अनुरक्षण	14796	27,086	30,864	31,540	30,666
मशीनों का अनुरक्षण	5406	9,828	10,772	12,112	12,880
सड़क संरक्षा समपार और ऊपरी/निचले सड़क पुल	1986	5,347	6,662	8,184	7,706
रेलपथ नवीकरण	4985	16,326	17,850	22,669	22,800
पुल संबंधी कार्य	390	1,050	1,907	2,130	2,169
सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य	905	2,456	3,751	6,006	6,800
उत्पादन इकाइयों सहित कारखानों तथा संरक्षा पर विविध व्यय	1823	7,119	9,523	9,581	10,134
कुल	39463	87,327	1,01,651	1,14,022	1,16,470

2. मानवीय विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाएं कम करने के लिए 28.02.2025 तक 6,623 स्टेशनों पर प्वाइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन वाली इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

3. समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 28.02.2025 तक 11,089 समपार फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।

4. संरक्षा बढ़ाने के लिए 28.02.2025 तक 6,631 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन के लिए स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।

5. कवच अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय स्वचालित रेलगाड़ी रक्षण (एटीपी) प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। कवच प्रणाली की उत्तरोत्तर चरणबद्ध रूप में व्यवस्था की जा रही है है। कवच को पहले ही दक्षिण मध्य रेल और उत्तर मध्य रेलवे के 1548 मार्ग किलोमीटर पर संस्थापित किया जा चुका है। वर्तमान में, दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा गलियारों (लगभग 3000 मार्ग कि.मी.) पर कार्य प्रगति पर है। इन रेलमार्गों पर लगभग 2066 मार्ग कि.मी. पर रेलपथ साइड कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इन खंडों पर नियमित परीक्षण किए जा रहे हैं।

6. सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मामलों जैसे अनिवार्य साम्यता जांच, परिवर्तन कार्य संबंधी प्रोटोकॉल, पूर्ण हो चुके कार्यों के रेखांकन तैयार करने आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

7. प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः जोर दिया गया है।

8. लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।

9. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो ओएचई मास्ट पहले स्थित होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी मिल सके।

10. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) की व्यवस्था की जाती है जिससे लोको पायलट को आने वाले मुख्य स्थलों यथा सिगनल, रेल फाटकों आदि की दूरी का पता लग जाता है।

11. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ (यूटीएस) पटरियां, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) लोचदार बंधन वाले सामान्य/चौड़ी सतह के स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेप्ड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है।

12. मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।

13. संरक्षा बेहतर करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना।

14. पटरियों में दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए रेल की अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन परीक्षण (यूएसएफडी)।

15. लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग के उपयोग को कम करना और रेलपथों के लिए बेहतर वैल्डिंग तकनीकों अर्थात फ्लैश बट वेल्डिंग अपनाना।

16. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ रिकॉर्डिंग कारों) द्वारा रेलपथ ज्यामिति की निगरानी।

17. वेल्ड/पटरियों की टूट-फूट का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग।

18. टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।

19. संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों की जाँच करने और उन्हें जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण।

20. युक्तिसंगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट के इष्टतमीकरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रैक डाटाबेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है।

21. रेलपथ की संरक्षा से संबंधित मामलों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्य साइट पर संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

22. गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण।

23. पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन के रेल डिब्बों के स्थान पर एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं।

24. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर सभी चौकीदार रहित समपारों (यूएमएलसी) को समाप्त कर दिया गया है।

25. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान स्थितियों के आकलन के आधार पर पुलों का मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।

26. भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "आग संबंधी सूचनाएं" लगाई हैं। सभी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग से बचने के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' संबंधी विभिन्न दिशानिर्देशों के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूम्रपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।

27. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैन्ट्री कारों में अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में अग्नि एवं धुआं संसूचन प्रणाली की व्यवस्था कर रही हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा सवारी डिब्बों में चरणबद्ध तरीकों से प्रोग्रेसिव फिटमेन्ट का कार्य भी चालू है।

28. कर्मचारियों की नियमित काउन्सलिंग की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

29. दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत भारतीय रेल (ओपन लाइनें) सामान्य नियमों में रोलिंग ब्लॉक की अवधारणा को समाविष्ट किया गया है, जिसमें परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन के कार्य को रोलिंग आधार पर 52 सप्ताह पूर्व ही नियोजित किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलवे द्वारा किए गए बेहतर अनुरक्षण पद्धतियों, प्रौद्योगिकीय सुधारों, बेहतर अवसंरचना और चल स्टॉक आदि से संबंधित संरक्षा कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

क्र.सं.	मद	2004-05 से 2013-14	2014-15 से 2024-25 (जनवरी 2025 तक)	2004-14 की तुलना में 2014-25
	प्रौद्योगिकीय सुधार			
1	उच्च-गुणवत्ता वाली पटरियों का उपयोग (60 कि.ग्रा.) (कि.मी.)	57,450 कि.मी.	1.4 लाख कि.मी.	2 गुना से अधिक
2	लंबी रेल पटरियां (260 मीटर) (कि.मी.)	9,917 कि.मी.	76,000 कि.मी.	7 गुना से अधिक
3	इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग (स्टेशन)	837 स्टेशन	3,243 स्टेशन	4 गुना
4	फॉग पास सेफ्टी उपकरण (अदद)	31.03.14 तक: 90	31.01.25 तक: 25,293	281 गुना
5	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	27,079 अदद	
	बेहतर अनुरक्षण पद्धतियां			
1	प्राथमिक रेल नवीकरण (रेलपथ कि.मी.)	32,260 कि.मी.	49,000 कि.मी.	1.5 गुना
2	यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) वेल्डिंग परीक्षण (अदद)	79.43 लाख	1.9 करोड़	2 गुना से अधिक
3	वेल्ड संबंधी विफलताएं (अदद)	2013-14 में: 3699 अदद	2024-25 में: 301 अदद	92% कमी
4	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548 अदद	2024-25 में: 243 अदद	91% कमी

	बेहतर अवसंरचना एवं चल स्टॉक			
1	जोड़े गए नए रेलपथ कि.मी. (रेलपथ कि.मी.)	14,985 अदद	34,000 कि.मी.	2 गुना से अधिक
2	फ्लाईओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद)	4,148 अदद	12,771 अदद	3 गुना से अधिक
3	बड़ी लाइन पर चौकीदार रहित समपार (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.24 तक: शून्य (31.01.19 तक सभी बंद कर दिए गए)	हटा दिए गए
4	एलएचबी सवारी डिब्बों का विनिर्माण (अदद)	2,337 अदद	41,551	17 गुना से अधिक

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्यों के विषय हैं और इस प्रकार, रेलों में अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण और जांच करना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसे वे अपनी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों यथा राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से निभाती हैं। रेलवे सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा मुहैया कराने और उनसे जुड़े मुद्दों पर राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

रेलगाड़ियों में बच्चों और अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं सहित यात्रियों और स्टेशनों पर संरक्षा व सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस के साथ समन्वय करके निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।

2. संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय रेल के कई स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, एक्सेस कंट्रोल, पर्सनल और बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम और बम संसूचन प्रणाली से युक्त एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) संस्थापित की गई है।

3. संवेदनशील और पहचाने गए मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन रेलगाड़ियों की सुरक्षा के अलावा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों की सुरक्षा की जाती है।

4. तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।

5. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।

6. चोरी, छीना-झपटी, ज़हरखुरानी आदि के तहत सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।

7. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।

8. 'मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा अर्थात् प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक संरक्षा व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

9. महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए 19.03.2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग और रेलवे सुरक्षा बल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

10. महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

11. जोनल रेलवे को अनुदेश दिए गए हैं कि वे ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टियों में जहाँ तक संभव हो पुरुष और महिला आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों की उचित संयुक्त संख्या की तैनाती करें।

12. रेलवे सुरक्षा बल में महिला कर्मियों की वर्तमान संख्या 9.5 प्रतिशत है जो भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे अधिक है। इन महिला रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिला यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है।

13. अकेले या महिला यात्रियों के समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए, भले उनकी आयु कुछ भी हो, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में शयनयान श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा और गरीब रथ/राजधानी/दूरांतो/पूर्णतया वातानुकूल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तृतीय वातानुकूल श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

14. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी में छह से सात निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा, वातानुकूल 3 टियर श्रेणी में चार से पांच निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा और वातानुकूल 2 टियर श्रेणी में तीन से चार निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा (रेलगाड़ी में उस श्रेणी के डिब्बों की संख्या के आधार पर) का एक संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

15. लंबी दूरी की अधिकांश मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच (एसएलआर) में महिलाओं के लिए द्वितीय श्रेणी स्थान निर्धारित किया गया है।

16. मांग के पैटर्न के साथ-साथ गाड़ी में स्थान की उपलब्धता के आधार पर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों/डीजल मल्टीपल यूनिटों/मल्टी मोडाल परिवहन प्रणाली रेलगाड़ियों और लोकल पैसेज़र गाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए अनन्य अनारक्षित सवारी डिब्बे/कूपे होते हैं।

17. मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद और चेन्नई के उपनगरीय रेलखंडों के साथ-साथ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रेलखंडों पर महिला स्पेशल ईएमयू/मेमू/एमएमटीएस सेवाएं चलाई जाती हैं।

18. रेलवे सुरक्षा बल ने भारतीय रेल के माध्यम से की जाने वाली मानव तस्करी को रोकने के लिए चौकी (थाना) स्तर पर 750 से अधिक मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ (एएचटीयू) स्थापित की हैं।

19. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग में, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेल के विभिन्न स्टेशनों पर बाल सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन बाल सहायता केंद्रों का संचालन जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) द्वारा किया जा रहा है।

यात्रियों की संरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों अर्थात् प्रारंभिक प्रशिक्षण पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पदोन्नति पाठ्यक्रम और अभिमुखता पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण रेलवे सुरक्षा बल के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित, बाल सुरक्षा पर 3.5 घंटे का प्रशिक्षण मॉड्यूल भी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रारंभिक/पुनश्चर्या/प्रोन्नति पाठ्यक्रमों के दौरान) के भाग के रूप में शामिल किया गया है ताकि रेल कर्मचारियों (विशेष रूप से चल टिकट

परीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल और स्टेशन मास्टर) को रेलवे के संपर्क में आने वाले खोए हुए बच्चों के बारे में पर्याप्त रूप से संवेदनशील बनाया जा सके।

इसके अलावा, महिला यात्रियों और बच्चों की संरक्षा पर कारवाई योजना के कार्यान्वयन पर गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को निम्नलिखित उपायों को लागू करने को कहा गया है:

1. जहां कहीं व्यावहारिक हो, महिलाओं और बच्चों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करें।
2. रेल कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण में संवेदनशीलता पाठ्यक्रम को शामिल करना।

इन प्रशिक्षणों के अलावा, भारतीय रेल पर संरक्षा और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कुछ अन्य/विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे व्यावहारिक कौशल में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, ग्राहक सेवा प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, खतरे की धारणा और आपातकालीन प्रतिक्रिया, अग्निशमन और प्राथमिक चिकित्सा कौशल, लैंगिक संवेदीकरण आदि।

*****